रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 23, 1976/माघ 3, 1897
No. 45] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 23, 1976/MAGHA 3, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January 1976

S.O. 57(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby directs that the powers conferred on it by section 3 of the said Act to make orders under clauses (c), (d), (f), (h), (i) and (j) of sub-section (2) of that section shall, in relation to the cattle fodder of any of the varieties specified in the Schedule hereto annexed, be exercisable also by the Government of the State of Bihar, in that State.

THE SCHEDULE

Varieties of Cattle Fodder

(i) Hay
(ii) Bhusa
(iii) Karab and Karabi
(iv) Grass
(v) Paddy straw
(vi) Pulse straw
(vii) Wheat bran

This order shall come into force on the date of its publication in the Gazette of India, and shall remain in force upto and inclusive of the 31st March, 1976.

[No. F. 32-4/75-L. D. III]

M. N. MENON,
Animal Husbandry Commissioner, and *Ex-Officio Jt. Secy.*

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1976

का० आ० 57(अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उस धारा की उप धारा (2) के खण्ड (ग), (घ), (च), (ज), (झ) तथा (ञ) के अधीन इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट संवर्गों के किसी पशु चारे की बाबत आदेश करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा इसको प्रदत्त शक्तियां बिहार राज्य की सरकार द्वारा उस राज्य में प्रयोज्य होंगी।

अनुसूची

पशु चारे की किस्में

1. सूखी घास
2. भूसा
3. कड़ब और कड़बी
4. घास
5. धान का भूसा
6. दाल का भूसा
7. गेहूं की चोकर

यह आदेश भारत सरकार के राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा और 31 मार्च, 1976 तक और उस तारीख को सम्मिलित करते हुए प्रवृत्त बना रहेगा।

[सं० फा० 32-4/75-एल० डी० 3]

एम० एन० मैनन,
पशु पालन आयुक्त तथा पदेन
संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976